16.04.2024

परिवादी सहित श्री एस0एस0 चौहान अधि0 उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित श्री जी0के0 बापना अधि0 उपस्थित।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है।

इसी स्तर पर परिवादी प्रकाश माली ने सह अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व्यक्त किया कि, वह हस्तगत परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा धारा–257 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को वापस लेने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि, परिवादी द्वारा हस्तगत प्रकरण प्रश्नगत चैक क्रं0–000003 के अनादरण के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। परिवादी प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। परिवादी की पहचान श्री एस0एस0 चौहान अधि0 द्वारा की गई।

परिवादी से पूछे जाने पर न्यायालय का यह समाधान है कि, परिवादी अपनी स्वेच्छ्या से हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं प्रकरण को वापस लेना चाहता है। आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का अन्य कोई कारण भी दर्शित नहीं होता है। अतः परिवादी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

परिवादी के द्वारा परिवाद वापस लिये जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा–257 दं0प्र0सं0 के प्रावधानानुसार **''दोषमुक्त''** घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत प्रपत्र एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

RISHI RAJ MISHRA

Digitally signed by RISHI RAJ MISHRA
Date: 2024.04.16 18:31:16 +0000

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा, जिला–मंदसौर म0प्र0